



कार्यालय— नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— २०१० / 12-1 : देहरादून: दिनांक: 15 मई, 2026

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र—चौबट्टाखाल के बीरोंखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से धोबीघाट हेतु मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/40720/2019

संदर्भ:- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 की पत्र संख्या 73 / X-3-20/1(08)/2020 दिनांक 03.02.2020

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2794 / 12-1 दिनांक 01.05.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क्र.सं.	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस- पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस- पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जा चुकी है। चालान की छाया प्रति संलग्न (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3 / 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2007 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3 / 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि ₹० 6,50,430.00 (₹० छः लाख, पचास हजार चार सौ तीस) मात्र दिनांक 06.08.2020 को जमा की जा चुकी है, जिसकी


		छाया बिन्दु सं०-1 के अनुसार संलग्न है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनवृद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि रू० 3,44,728.00 (तीन लाख चवालीस हजार सात सौ अठाईस रुपये) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गई है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं० एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि रू० 6,50,430.00 (रू० छः लाख, पचास हजार चार सौ तीस) मात्र, तथा रोड़ साईड वृक्षारोपण की धनराशि रू० 5,05,571.00 (रू० पाँच लाख, पांच हजार पांच सौ इक्कहत्तर) कुल धनराशि रू० 11,56,001.00 (रू० ग्यारह लाख छप्पन हजार एक) दिनांक 06.08.2020 को बिन्दु संख्या 1 के अनुसार चालान के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव में संलग्न किये गये हैं जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्धारित शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त

	विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का उपरोक्तानुसार अनुपालन किया जायेगा।
--	--

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।


L

भवदीय,

 (मीनाक्षी जोशी)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या- 2070 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक वन महानिरीक्षक (के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।


 (मीनाक्षी जोशी)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- ५७१५ / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अप्रैल ०१, 2026.
मई

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के बीरोंखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से धोबीघाट हेतु मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/40720/2019

सन्दर्भ :- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 की पत्र संख्या 73/X-3-20/1(08)/2020 दिनांक 03.02.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 4973/12-1 दिनांक 15.05.2025 एवं पत्रांक 5007/12-1 दिनांक 06.04.2026 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्न प्रकार प्रेषित है-

क.सं.	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस- पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 4973/12-1 दिनांक 15.05.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस- पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जा चुकी है। चालान की छाया प्रति संलग्न (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/ 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2007 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 4973/12-1 दिनांक 15.05.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/ 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि रू० 6,50,430.00 (रू० छः लाख, पचास हजार चार सौ तीस) मात्र दिनांक 06.08.2020 को जमा की जा चुकी है, जिसकी छाया बिन्दु सं०-1 के अनुसार संलग्न है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनवृद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। <u>जमारी पौड़ी</u>	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 5007/12-1 दिनांक 06.04.2026 से अवगत कराया गया है कि अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि रू० 3,44,728.00 (तीन लाख चवालीस हजार सात सौ अठाईस रुपये) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गई है। (संलग्नक-2)

क्रमश पेज 02 पर

IAIDFFP

आ. का. कर,
M
11-5-26

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, देहरादून
मो सं० 3857
दिनांक 12-1
11-05-26

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं० एस०बी०-25229 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 4973/12-1 दिनांक 15.05.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशी रू० 6,50,430.00 (रू० छः लाख, पचास हजार चार सौ तीस) मात्र, तथा रोड़ साईड वृक्षारोपण की धनराशि रू० 5,05,571.00 (रू० पाँच लाख, पाँच हजार पाँच सौ इक्कहत्तर) कुल धनराशि रू० 11,56,001.00 (रू० ग्यारह लाख छप्पन हजार एक) दिनांक 06.08.2020 को बिन्दु संख्या 1 के अनुसार चालान के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 4973/12-1 दिनांक 15.05.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 4973/12-1 दिनांक 15.05.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव में संलग्न किये गये हैं जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 4973/12-1 दिनांक 15.05.2025 से अवगत कराया गया है कि निर्धारित शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 4973/12-1 दिनांक 15.05.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का उपरोक्तानुसार अनुपालन किया जायेगा।

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

(पंकज कुमार)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 2794 / 12-1 दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

IAINDERP

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी
 वन संरक्षक
 गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in,

Phone/ Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 5007 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, ~~सुनि~~ 06 / 2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकासखण्ड-बीरोंखाल में ग्राम-मोरोबैण्ड से घोबीघाट हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/40720/2019

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय की पत्र सं० 2258 / 12-1, दिनांक 21.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग (अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरौ) ने अपनी पत्र सं० 441/14 सी०, दिनांक 17-03-2026 द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2011-एफ०सी० (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 से निर्गत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार बढ़ी हुई अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि रू० 3,44,728.00 (तीन लाख चौवालीस हजार सात सौ अट्ठाईस) मात्र जमा कर दी गई गई है जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

Mahat
(महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक: / , दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरौ (गढ़वाल) को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

महातिम यादव
आ०जा० दे०

म.प्र.०
21/5/2026

कार्यालय वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
पत्रांक सं० 9738
कमल संख्या 12-1
दिनांक 7/5/26
पत्र किसको भेजा 20/5/26

(महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Project Details	App. No. (S.No.)	App. Value (Rs.)	Date of In-prin. (DUE)	Amount to be Paid/Advance Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Details	Date
Construction of Under State Sector Village Road to Dhadhad Motor road in Block Barabhat, District Rauf, Faridkot	RDAD-087202019855	51,40,70,985	13 Feb 2020	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 344728/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 344728/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On Bank Name Mode of Payment Cheffian Generated On Transaction Date :20 Jan 2026 :Union Bank of India :NEFT/RTGS (Chakran) :21 Feb 2026 :25 Feb 2026	Deputy Commr
Construction of Dendra Gawan (Gan Sahra Gawan) Motor Road in District Block District Rauf, Faridkot	RDAD-0897201917	51,40,89,727	18 Mar 2020	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 344728/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 344728/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On Bank Name Mode of Payment Cheffian Generated On Transaction Date :05 Jan 2026 :Union Bank of India :NEFT/RTGS (Chakran) :21 Feb 2026 :25 Feb 2026	Deputy Commr
In District (out) gathwad construction of Kharla-Kharla Motor Road from NH band	RDAD-03042019019	51,43,50,4019	18 Mar 2020	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 329089/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 329089/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On Bank Name Mode of Payment Cheffian Generated On Transaction Date :05 Jan 2026 :Union Bank of India :NEFT/RTGS (Chakran) :21 Feb 2026 :25 Feb 2026	Deputy Commr

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in,

Phone/ Fax no:-01368-222215

Uta Pauri
B.I.
FHS/25

पत्रांक:- 4973 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, 15 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के बीरोखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से धोबीघाट हेतु मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/40720/2019

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं० 2393/12-1, दिनांक 24-05-2024 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरा की पत्र सं० 250/14 सी०, दिनांक 20-02-2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत करना है प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय की पत्र सं० 73/12-1, दिनांक 07-07-2020 से प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को 03 (तीन) प्रतियों में प्रेषित की गई थी। परन्तु नोडल कार्यालय, देहरादून द्वारा पुनः प्रकरण के सापेक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना/आख्या आपके माध्यम से प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।

अतः उक्त प्रकरण के सापेक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या प्रश्न उत्तर कॉलम में निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:-

क्र.सं.	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस- पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	बिन्दु सं०-1 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस- पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जा चुकी है। चालान की छाया प्रति संलग्न (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/ 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2007 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	बिन्दु सं०-2 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/ 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि ₹० 6,50,430.00 (₹० छः लाख, पचास हजार चार सौ तीस) मात्र दिनांक 06.08.2020 को जमा की जा चुकी है, जिसकी छाया बिन्दु सं०-1 के अनुसार संलग्न है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनवृद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	बिन्दु सं०-3 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण	बिन्दु सं०-4 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशी ₹० 6,50,430.00 (₹० छः लाख, पचास हजार चार सौ तीस) मात्र, तथा रोड़

	के तदर्थ निकाय के लेखा सं० एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	साईड वृक्षारोपण की धनराशि ₹ 5,05,571.00 (₹ पाँच लाख, पाँच हजार पाँच सौ इकहत्तर) कुल धनराशि ₹ 11,56,001.00 (₹ ग्यारह लाख छप्पन हजार एक) दिनांक 06.08.2020 को बिन्दु संख्या 1 के अनुसार चालान के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा	बिन्दु सं०-5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	बिन्दु सं०-6 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव में संलग्न किये गये हैं जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	बिन्दु सं०-7 के अनुपालन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	बिन्दु सं०-8 के प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का उपरोक्तानुसार अनुपालन किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 04 (चार) हार्ड प्रतियों में आपको यथोचित कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भारत सरकार
वन विभाग
पौड़ी
दिनांक 17/05/2020

भवदीय,
[Signature]
(स्वप्निल अनिरुद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक: / , दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरो को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित ऑन लाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड करते हुये आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया ध्यान दें
[Signature]

(स्वप्निल अनिरुद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Balljro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaljro@rediffmail.com, eepwdbaljro01@gmail.com



उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक:- 250 / 14 सी०

दिनांक:- 20/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी (गढ़वाल)

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकासखण्ड वीरोंखाल के अन्तर्गत मोरोवैण्ड से धोवीवाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-
महोदय,

आपका पत्रांक 4112/12-1 दिनांक 10.08.2024।

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या 1657/FP/UK/ROAD/40720/2019 की सैद्धान्तिक स्वीकृति

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 73 /X-3-20/I/(08) 2020 दिनांक 03.02.2020 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तों का विन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिस्रोतित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान बेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 505571.00 दि० 06.08.2020 को चालान संख्या 6140720385 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं० 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) को निर्धारित धनराशि रु० 650430.00 दि० 06.08.2020 को चालान संख्या 6140720385 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वर्तमान में अगर एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरुपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा सं० ए०सी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतन सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की धनराशि सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि रु० 650430.00 रोड साईड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रु० 505571.00 कुल रु० 1156001.00 की धनराशि दि० 11.08.2020 को चालान संख्या 6140720385 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, (छायाप्रति संलग्न)। (संलग्नक-1)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यवलय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यवलय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-3)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा (छायाप्रति संलग्न)। (संलग्नक-4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तों का

Ameen letters

	का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	अनुपालन किया जायेगा।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
वैजरी (गढ़वाल)

पत्रांक:- /14 सी0 दिनांक:- / /
प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
वैजरी (गढ़वाल)

17/3/25
व. क. शर्मा
ए. का. शर्मा
[Signature]

Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1040492392020512	5149239512	26 Jul 2021	CA: 45046/- P.CA: 0/- Safety Zone: 0/- Other: 0/- Total: 45046/- Add CA: 0/- Add PA: 0/-	Paid	Fund Demand Verified by: 30 Mar 2022 Noted Officer On: Union Bank of India Bank Name: Union Bank of India Mode of Payment: Union Bank of India (Challan) Challan Generated On: 30 Mar 2022 Transaction Date: 30 Mar 2022	Demand Letter (/writer/readdata/Fundpdf/200302211231023_FUND/040-92392020_User_Fund_Demanded_240319.pdf)
1040123092015597	5140123457	27 Aug 2018	CA: 74859/- P.CA: 0/- Safety Zone: 0/- Other: 0/- Total: 74859/- Add CA: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	Paid	Fund Demand Verified by: 17 Apr 2021 Noted Officer On: Union Bank of India Bank Name: Union Bank of India Mode of Payment: Union Bank of India (Challan) Challan Generated On: 17 Apr 2021 Transaction Date: 29 Jun 2021	Demand Letter (/writer/readdata/Fundpdf/3112612412146828025040FundDemand.pdf)
10401230920155132	5112309132	21 Jun 2019	CA: 80296/- P.CA: 0/- Safety Zone: 0/- Other: 0/- Total: 80296/- Add CA: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	Paid	Fund Demand Verified by: 26 Mar 2021 Noted Officer On: Union Bank of India Bank Name: Union Bank of India Mode of Payment: Union Bank of India (Challan) Challan Generated On: 26 Mar 2021 Transaction Date: 23 Jun 2021	Demand Letter (/writer/readdata/Fundpdf/3112612412146828025040FundDemand.pdf)
1040492392019385	5140720385	13 Feb 2020	CA: 28855/- P.CA: 0/- Safety Zone: 0/- Other: 0/- Total: 28855/- Add CA: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	Paid	Fund Demand Verified by: 03 Jul 2020 Noted Officer On: Corporation Bank Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: Corporation Bank (Challan) Challan Generated On: 06 Aug 2020 Transaction Date: 13 Aug 2020	Demand Letter (/writer/readdata/Fundpdf/711112125212110VEOD/20190404FundDemand.pdf)
1040492392019385	5140720385	13 Feb 2020	CA: 28855/- P.CA: 0/- Safety Zone: 0/- Other: 0/- Total: 28855/- Add CA: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	Paid	Fund Demand Verified by: 03 Jul 2020 Noted Officer On: Corporation Bank Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: Corporation Bank (Challan) Challan Generated On: 06 Aug 2020 Transaction Date: 13 Aug 2020	Demand Letter (/writer/readdata/Fundpdf/711112125212110VEOD/20190404FundDemand.pdf)

Unlinked Page

OFFICE COPY

15/05/24



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वैजसै (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

पत्रांक:- /

दिनांक:- / / 2024

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

[Handwritten Signature]
AE

(इं० लोर्केश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
वैजसै (गढ़वाल)

21/08/20

Agency Copy

BANK COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 06-08-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6140720385
MoEF/SG File No.	1(08)
Address.	CD PWD BAIJRO Pauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	anilkumarbaijro@gmail.com 9756885708 1348-267116
Amount(In Rs)	1156001/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Eleven Lakh Fifty-Six Thousand and One Rupees Only

06/08/2020

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS * CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

kcampa@corpbank.co.in

21/02/2015-4

54

:: प्रारूप-30 ::

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1193/8-LAC (2018-19)

Dated May 13, 2015


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Village Moroband to Dhobighaat Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 5.000 km* (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of of Seela Talls - Malla Nawasu, Pokhrsain, Diboli, village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

- (d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.



(Dhobighaat) (Muz) (Muz)
District Collector, Garhwal
गढ़वाल

FORM-II
(for projects other than linear projects)

55

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1193/8 LAC (2018-2019)

Dated 13-5-2019

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for Village Moroband to Dhobighaat Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 5.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Seela Talls - Malla Nawasu, Pokhrsain, Diboli, village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

- (g) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (h) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (i) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Seela Talls - Malla Nawasu, Pokhrsain, Diboli, villages(s) is enclosed as annexure III to annexure VIII.
- (j) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (k) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (l) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

(District Collector, Garhwal)
District Collector, Garhwal
गढ़वाल

:: प्रारूप-30.1 ::

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.


A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj Singh Garbyal I.A.S deputy commissioner Garhwal on dated 13.5.2019 at time 10:30 AM at Pauri in which application claiming rights in village Moroband to Dhobighaat area measuring 0.990 hect. for the construction of Village Moroband to Dhobighaat Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 5.000 km forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Thalissain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: ... Pauri ...

Dated: ... 13.5.2019 ...


 Deputy Commissioner Pauri Chairman
 District Level Committee
 गढ़वाल



It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Village-Moroband to Dhobihat Motor Road in Birokhal Block, District Garhwal. Length 5.000 km regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.990 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of moto road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

अनुपासित
जला पसायति सदस्य

भाछी देवलो

वे०ख० वर्गमन्त्र

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

उप वन संरक्षक
Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal, पौड़ी

अधिसारी
Executive Engineer
निर्माण विभाग
P.W.D. Division, Baijro
बैजरो (गढ़वाल)

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
सचिव

[Signature]

दिनांक 13-5-2019

58

को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- सर्व श्री धीराज सिंह गर्बाल

2- श्री लक्ष्मण सिंह रावत

3- श्री रतन सिंह सक्ता

4- श्री अनूप सिंह

जिलाधिकारी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी

जिला पंचायत सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

बताया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरोबैण्ड से घोबीघाट मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.000 कि०मी०):- निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्ग हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरोबैण्ड से घोबीघाट मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.000 कि०मी०):- :- यह मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत वैजरो- जोगीमढी मोटर मार्ग के कि०मी० 7.000 में मोरोबैण्ड से प्रारम्भ होता है एवं 5.000 कि०मी० लम्बाई में सीला तल्ला/मल्ला- नवासू- दिबोली ग्रामो को जोड़ते हुए ग्राम पोखरसैण तक जाता है इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सीला तल्ला/मल्ला - नवासू दबोली एवं पोखरसैण के ग्रामीणों को मोटर मार्ग से यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जो 3 से 5 कि०मी० तक का रास्ता पैदल तय करते है उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 100, 96, 79, 99 एवं 26 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 400 जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें जनपद गढ़वाल में 1. 100 कि०मी० लम्बाई में सिविल वनभूमि, 0.000 कि०मी० में सिविल वनपंचायत भूमि, 0.000 कि०मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं 3.900 कि०मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

उप वन संरक्षक


गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

निर्णय

54

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीरीण से प्राप्त जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड थलीरीण के अन्तर्गत मोशेभण्ड से घोसीघाट मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.000 कि०मी०) निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.990 है० सिविल भूमि, 0.000 है० सिविल वन पंचायत भूमि, 0.000 है० आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल वनभूमि 0.990 है० लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।



(श्री धीरानन्द सिंह) जिलाधिकारी
गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक 1193/8-LAC (2018-19)

दिनांक 13/12/2018

- प्रतिलिपि -
- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।


(आदर्श गोपाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीघाट तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई ५.०० कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम २००६ के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीघाट तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये (आरक्षित वन भूमि, ०.००० हे० सिविल वन भूमि, हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक १७-३-२०१९ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ एवं नियम २००८ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~मोरोबैण्ड~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- १- श्री ~~प्रताप शर्मा~~ उपजिलाधिकारी ~~थलीसैण गढ़वाल~~ अध्यक्ष
- २- श्री ~~मोरोबैण्ड~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~मोरोबैण्ड~~ सदस्य
- ३- श्री ~~केदार दत्त~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ~~बीरोंखाल~~ सदस्य / सचिव
- ४- श्री ~~सम्पति देवी~~ बी०डी०सी० क्षेत्र ~~उपखण्ड~~ ~~देवी~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीघाट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ०.९९० हे० वन भूमि के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ एवं तत्सम्बंधी नियम २००८ के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीघाट तक मोटर मार्ग हेतु ०.९९० हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सम्पति देवी

सदस्य

सदस्य क्षेत्र पंचायत केपलाड़ी
वार्ड-३३, वि०३० बीरोंखाल
पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्डउप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

:: प्रारूप-30.3 ::

81

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से घोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम श्रीलाला ताल्ला ग्राम - दिवोली
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से घोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत श्रीलाला ताल्ला ग्राम- दिवोली द्वारा दिनांक 28/2/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि खण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से घोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



:: प्रारूप-30.4 ::


62

दिनांक २६/१२/२०१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~सुपौडा~~ ~~अफला~~ ~~ग्राम~~ - दिवोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सलीम चन्द सुरज गौड़ा	सलीम चन्द
2	सेना देवी सलीम चन्द	सेना देवी
3	शान्ति देवी राजेश कुमार	शान्ति देवी
4	विमला देवी रामेश कुमार	विमला देवी
5	मुनी देवी उनील कुमार	मुनी देवी
6	सुरभा देवी चण्डी प्रसाद	सुरभा देवी
7	विजयराज गणेश चन्द	विजयराज
8	म-दी देवी विजयराज	म-दी देवी
9	मन मोहन ब्रजम लाल	मन मोहन
10	चन्द्रिका देवी मन मोहन	चन्द्रिका देवी
11	वसुन्दी देवी गणेश चन्द	वसुन्दी देवी
12	आश्वरथ जानी राम	Ashwari
13	ब्रजम लाल विहारी लाल	
14	पुष्पा देवी ब्रजम लाल	पुष्पा देवी
15	आनंदी देवी रामेश प्रसाद	आनंदी देवी
16	आनंदी गौड़ा मोहनराज	आनंदी देवी
17	आनंदी देवी रामेश प्रसाद	आनंदी देवी
18	विहारी लाल विहारी लाल	Bihar Lal

[Handwritten signature]



:: प्रारूप-30.3 ::

63

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सीला तल्ला
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सीला तल्ला द्वारा दिनांक 29/01/20 को सभ्य ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-सीला तल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ह०

ग्राम सचिव
मुहर सहित



ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



प्रारूप-30.4

64

दिनांक 31/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत की जिला तहसील - सीमा तहसील

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जीलम देवी W/O अदन लखड़ा	जीलम देवी
2	शुशुटा/तामणी लखड़ा S/O लखड़ा श्यामल	लखड़ा
3	रमेश चन्द लखड़ा S/O लखड़ा बाबू नन्द	
4	सरस्वती देवी W/O लखड़ा गिरीश चन्द	
5	कमला देवी W/O लखड़ा श्यामल प्रसाद	अनिल देवी
6	अनिला देवी W/O श्री गणेशी लखड़ा	अनिल देवी
7	शम्भू प्रसाद S/O लखड़ा चैतन्य	शम्भू प्रसाद
8	श्रीमती धिल्लियाल S/O लखड़ा शम्भू प्रसाद	Shri
9	वलदेव प्रसाद S/O लखड़ा शम्भू प्रसाद	वलदेव प्रसाद
10	नरेश प्रसाद S/O लखड़ा लखड़ा प्रसाद	Narender Prasad
11	राजेश कुमार S/O श्री लखड़ा प्रसाद	Rajender
12	महेश प्रसाद धिल्लियाल S/O लखड़ा	महेश चन्द
13	सीमा धिल्लियाल W/O लखड़ा	सीमा
14	वलन्ती देवी W/O लखड़ा	महेश चन्द
15	देवेश्वर प्रसाद S/O लखड़ा शम्भू प्रसाद	देवेश्वर प्रसाद
16	गोदावरी देवी W/O लखड़ा शम्भू प्रसाद	
17	शंती देवी W/O देवेश्वर प्रसाद	शंती देवी
18	मनोहर लाल S/O लखड़ा शम्भू प्रसाद	
19	संगीता देवी W/O प्रवीण कुमार	संगीता
	प्रवीण कुमार S/O लखड़ा शम्भू प्रसाद	Praveen Kumar

हो
ग्राम प्रधान
प्रवीण कुमार

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ...लाही... ग्राम- पोखरसैण
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लाही द्वारा दिनांक 29/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-पोखरसैण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित



प्रा.सं-30.4


66

दिनांक 28/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...कोटा...त...ग्राम-नवास

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गीता देवी	गीता देवी
2	आरती देवी	आरती देवी
3	श्री भैरव दत्त	भैरव दत्त
4	श्रीमती गुडडी देवी	गुडडी देवी
5	श्री बच्चो राम	बच्चो राम
6	अंजू देवी	अंजू देवी
7	श्री रामेश्वर प्रसाद	रामेश्वर प्रसाद
8	जीलराम	जीलराम
9	केदार दत्त	केदार दत्त
10	श्रीमती सुरेशी देवी	सुरेशी देवी
11	श्री रामेश्वरी देवी	रामेश्वरी देवी
12	मोहन लाल	Moham
13	कुसुम देवी	कुसुम देवी
14	श्रीमती गीता देवी	गीता देवी
15	श्रीमती कुसुम देवी	कुसुम देवी
16	सन्तोषी	सन्तोषी
17	श्रीमान
18	श्रीमती सरला देवी	सरला देवी

[Handwritten signature]



:: प्रारूप-30.3 ::

67

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम : सीला मल्ला ग्राम - सीला मल्ला
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। 12/12/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परस्परगत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- सीला मल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



प्रारूप-30.4


68

दिनांक 20/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ब्लॉक... ग्राम - सीला बल्ला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री हराराम / गेन्दाराम	हराराम
2	" इन्द्र सिंह, देवदत्त सिंह	इन्द्र
3	श्याम सिंह, गोविन्द सिंह	रामाप्रसाद
4	दिलवर सिंह, चन्द्र सिंह	दिलवर सिंह
5	बचें सिंह, जगद सिंह	बचें सिंह
6	काशमिरी देवी चन्द्र सिंह	काशमिरी देवी
7	मोहनलाल, राजाराम	मोहनलाल
8	यशोवन्त सिंह, गंगा सिंह	यशोवन्त
9	मिमला देवी, लोचन राम	मिमला
10	दयानन्द, बुधरी राम	दयानन्द
11	पंकज, दीन दयाल	
12	चन्दन सिंह, कलक सिंह	चन्दन
13	खिलपा देवी, इन्द्र सिंह	खिलपा देवी
14	खुशाल सिंह, वालम सिंह	खुशाल
15	आनंद सिंह, कलक सिंह	आनंद
16	सरशवती देवी चन्द्र राम	सरशवती देवी
17	सावैरी देवी, सहानंद	सावैरी देवी
18	राम पुसाद, रतन मजरा	राम पुसाद

(Handwritten signature)



:: प्रारूप-30.3 ::

69

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी०


वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्रग्राम पंचायत का नाम ग्राम-नवासू
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वालअनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे० सिविल भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्राम-नवासू द्वारा दिनांक 28/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-नवासू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मोरो बैंड से धोबीघाट मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 5.00 कि०मी० हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक १९/१२/१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा- लाही ग्राम पंचायत सोहरखोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरिहर सिंह - मधुकर सिंह	हरिहर सिंह
2	नरेश सिंह - मधुकर सिंह रावत	हरिहर सिंह
3	वज्र सिंह - धन सिंह	वज्र सिंह
4	चमन सिंह रावत - चमन सिंह	Chaman Singh
5	हरिहर सिंह - - -	D's Rawat
6	हरि सिंह - - -	हरि सिंह
7	विश्व सिंह - - -	Shiv Singh
8	मनहर सिंह - - -	Manshar Singh
9	सुरेश सिंह - - -	Suresh Singh
10	मनहर सिंह - - -	Manshar Singh
11	पवन सिंह - - -	Pawan Singh
12	मनहर सिंह - - -	Manshar Singh
13	अनुराज सिंह - - -	Anuraj Singh
14	उमेश सिंह - - -	Umesh Singh
15	पवन सिंह - - -	Pawan Singh
16	बलराम सिंह - - -	Balram Singh
17	मनहर सिंह - - -	Manshar Singh
18	सुनील सिंह - - -	Sunil Singh

(Handwritten signature)

